

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प०३५/2019/33

दिनांक : ...9.../01/2019

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर
जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

MOST URGENT

विषय : कारण बताओ नोटिस

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 379 दिनांक 29.10.18, 387 दिनांक 01.11.2017, 389 दिनांक 02.11.18, 391 दिनांक 05.11.18 एवं 422 दिनांक 18.12.2016 के द्वारा आपके अधीन संस्थानों में कार्यरत/पदस्थापित चिकित्सकों की वर्तमान स्थिति की सूचना संलग्न प्रोफार्मा में तैयार कर समय सारणी अनुसार संबंधित लिपिक के साथ निदेशालय में उपस्थित होकर पदों का मिलान करवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु निम्नांकित स्थानों से संबंधित लिपिक निर्धारित समय सारणी अनुसार उपस्थित नहीं हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

S.NO.	ZONE	CMHO	PMO/SUP.	DATE
1	AJMER		KUCHAMANCITY	10-01-2019
2	BHARATPUR	DHOLPUR	BHARATPUR	
3		KARALI	HINDON GANGAPURCITY	
4	BIKANER		BIKANER	
5	JAIPUR	DOUSA	ALWAR BANIPARK JAIPURIA KANWATIA SETHI COLONY NAVALGARH JIN AJEETGARH SKR NEEMKATHANA SKR SIKAR	11-01-20019
6	JODHPUR	JAISALMER	JAISALMER	16-01-2019
7	KOTA	BARAN	BUNDI	
8	UDAIPUR	UDAIPUR	DUNGARPUR SAGWARA	
9			RAJSAMAND	
10			NIMBAHERA	
11			PRATAPGARH	
12			CHANDPOLE SALUMBAR	

जो उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने का द्योतक है।

Gen

कृ.पृ.उ.

अतः संबंधित नियंत्रण अधिकारी/लिपिक द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में चाही गई सूचना तैयार कर निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने के कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि को सूचना के साथ अधो-हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त पत्र को अन्तिम नोटिस मानते हुए आपके विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प०३५/2019/33

दिनांक : 09/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1 एवं 2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1 एवं 2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. प्रभारी, गोपनीय राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित करावें।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावें।
7. निजि/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।